छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा   अष्टम् सत्र   अंक-10

नवा रायपुर अटल नगर, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2026

(फाल्गुन 22, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. निधन का उल्लेख

माननीय सभापति ने श्रीमती मंगलीबाई रावटे, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा की पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किया ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्‌वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.08 बजे स्थगित की जाकर 11.13 बजे समवेत हुई)

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 57 तारांकित एवं 84 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-क की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ.एन. रूल/716/2025-कॉमटैक्स सेक्शन (93), दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 **पटल पर रखा।**

4. पृच्छा

सर्वश्री सुनील कुमार सोनी, ब्यास कश्यप सदस्य ने विविध विषयों पर आसंदी का ध्यानाकर्षित किया।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज की कार्य-सूची में 77 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(1) सर्वश्री पुरन्दर मिश्रा, इंद्र साव सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, डॉ.चरणदास महंत, श्रीमती शेषराज हरवंश सदस्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्देशों की अवहेलना किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 4 के उप पद (03) से (77) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गये। इन्हें कार्यवाही में मुद्रित किया जाएगा।

6. नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार नियम 267-"क" (2) को शिथिल कर आज दिनांक 13 मार्च को मैंने सदन में 17 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जाएंगे।

1. श्री बघेल लखेश्वर
2. श्री रामकुमार यादव
3. श्रीमती चातुरी नंद
4. श्री अनुज शर्मा
5. श्रीमती अनिला भेंड़िया
6. श्री इन्द्रशाह मंडावी
7. श्रीमती शेषराज हरवंश
8. श्री द्वारिकाधीश यादव
9. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
10. श्रीमती अंबिका मरकाम
11. श्री कुंवर सिंह निषाद
12. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी
13. श्री अटल श्रीवास्तव
14. श्री देवेन्द्र यादव

15. श्री बालेश्वर साहू
16. श्री दिलीप लहरिया
17. श्री भोलाराम साहू

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री भोलाराम साहू
2. श्रीमती अनिला भेंड़िया
3. श्री रिकेश सेन
4. श्री धरमलाल कौशिक

8. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

9. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री से संबंधित विभागों की मांगों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

(1) मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

10. बहिर्गमन

अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान अधिकारी दीर्घा में सचिव स्तर के अधिकारियों की अनुपस्थिति के विरोध में, डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

शुक्रवार, 13 मार्च, 2026

11. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, अजय चन्द्राकर,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री रिकेश सेन, लालजीत सिंह राठिया

(सभापति महोदय (श्री दलेश्वर साहू) पीठासीन हुए)

सर्वश्री योगेश्वर राजू सिन्हा, द्वारिकाधीश यादव,

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

श्री कुंवर सिंह निषाद, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री दिलीप लहरिया, जनक ध्रुव, दीपेश साहू, भोलाराम साहू, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती चातुरी नंद, सर्वश्री बालेश्वर साहू, इन्द्रशाह मण्डावी, कवासी लखमा, लखेश्वर बघेल, चैतराम अटामी, भूलन सिंह मराबी, आशाराम नेताम, प्रणव कुमार मरपची, प्रेमचंद पटेल, इन्द्र कुमार साहू, ललित चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्री पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, श्री प्रबोध मिंज, श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, सर्वश्री पुरन्दर मिश्रा, अनुज शर्मा, सुनील कुमार सोनी, रामकुमार यादव,

श्री टंकराम वर्मा, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री ने स्कूल शिक्षा से संबंधित मांग संख्या-27, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या- 29, ग्रामोद्योग से संबंधित मांग संख्या-56, प्रस्तुत की।

मांग संख्या-27 पर सर्वश्री लखेश्वर बघेल, भोलाराम साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री द्वारिकाधीश यादव, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्री जनक ध्रुव, **मांग संख्या-56** पर श्री लखेश्वर बघेल, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्रीमती चातुरी नंद सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोतीलाल साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री रामकुमार यादव, रिकेश सेन,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

12. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि दैनिक कार्यसूची के पद क्रमांक-6 (3) से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा सोमवार, दिनांक 16 मार्च को ली जायेगी एवं सभा की सहमति से आज की दैनिक कार्यसूची के पद क्रमांक- 7 एवं 8 का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की ।

13. वित्तीय वर्ष 2026-2027 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री रामकुमार टोप्पो, किरण देव, सुनील कुमार सोनी, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री जनक ध्रुव, दिलीप लहरिया

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री गजेन्द्र यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 27 फरवरी, 2026 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित पर्यटन मंत्री से पूछे गए "छ.ग. संस्कृति परिषद के अंतर्गत अकादमियां" संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-07 (क्रमांक-879) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछे।

श्री राजेश अग्रवाल, पर्यटन मंत्री ने प्रश्नों का उत्तर दिया।

15.अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि **"भिलाई नगर स्थित सेक्टर-9 हॉस्पिटल को सर्वसुविधायुक्त मल्टी स्पेशियालिटी हॉस्पिटल के रूप में पुनःस्थापित किया जाये।"**

श्री रिकेश सेन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रामकुमार यादव, धर्मजीत सिंह, देवेन्द्र यादव, ललित चन्द्राकर, कुंवर सिंह निषाद, दीपेश साहू।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प सर्व सम्मति से स्वीकृत करने का अनुरोध किया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) सदन का यह मत है कि **"आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की रहवासी बालिकाओं-के शैक्षणिक विकास के लिये संचालित आश्रम सरकार से विशेष छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु केन्द्र-सहायता राशि की मांग की जाये।"**

श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री रामकुमार यादव,श्रीमती गोमती साय, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्री द्वारिकाधीश यादव।

श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया तथा संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया ।

श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु सहमति व्यक्त की।

संकल्प वापस हुआ।

(3) सदन का यह मत है कि **" विभिन्न विभागों के रिक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विषेष भर्ती अभियान के माध्यम से पदों की पूर्ति की जाये।"**

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री रामकुमार यादव, रामकुमार टोप्पो, श्रीमती शेषराज हरवंश, सर्वश्री दीपेश साहू, प्रेमचन्द पटेल, ललित चन्द्राकर, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री प्रणव मरपची, जनक ध्रुव।

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया ।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु सहमति व्यक्त की।

संकल्प वापस हुआ।

(रात्रि 8.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2026 (फाल्गुन 25, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा